संख्या-410/2025/3371/22-2-2022-17(457)/2022

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 30 अप्रैल, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी छोटे उर्फ प्रेमचन्द्र पुत्र श्री ओम प्रकाश त्रिवेदी उर्फ चिरौटा निवासी जनपद-कानपुर नगर की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-30519/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-29.08.2022), दिनांक 27.09.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी छोटे उर्फ प्रेमचन्द्र पुत्र श्री ओम प्रकाश त्रिवेदी उर्फ चिरौटा जो छोटी मनोह, थाना-चौबेपुर, जनपद-कानपुर नगर का निवासी है। बलात्कार का प्रयास करने में सफल न होने पर दिनांक-10-08-2003 को बन्दी ने श्रीमती कमलेश कान्ती की गला दबाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-102/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302, 394,411, 376/511 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश, द0प्र0क्षे0, कानपुर देहात के आदेश दिनांक 31.03.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक-01-02-2019 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। दिनांक दिनांक-04.08.2022 तक अपरिहार 18 वर्ष, 11 माह, 09 दिन तथा सपरिहार 24 वर्ष, 04 माह, 16 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक-13-11-2021 में प्राबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष बंदी छोटे उर्फ प्रेमचन्द्र पुत्र श्री ओम प्रकाश त्रिवेदी उर्फ चिरौटा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड का अभिमत है कि बलात्कार का प्रयास करने में सफल न होने पर दिनांक-10-08-2003 को बन्दी ने श्रीमती कमलेश कान्ती की गला दबाकर हत्या करने का

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा समिति व निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्राबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी छोटे उर्फ प्रेमचन्द्र पुत्र श्री ओम प्रकाश त्रिवेदी उर्फ चिरौटा को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी छोटे उर्फ प्रेमचन्द्र (बन्दी संख्या-21077) पुत्र श्री ओम प्रकाश त्रिवेदी उर्फ चिरौटा, निवासी जनपद-कानपुर नगर की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-410/2025/3371(1)/22-2-2022-17(457)/2022,तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-410/2025/3371/22-2-2022-17(457)/2022

दिनांकः 30 अप्रैल, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी छोटे उर्फ प्रेमचन्द्र पुत्र श्री ओम प्रकाश त्रिवेदी उर्फ चिरौटा जो छोटी मनोह, थाना-चौबेपुर, जनपद-कानपुर नगर का निवासी है। बलात्कार का प्रयास करने में सफल न होने पर दिनांक-10-08-2003 को बन्दी ने श्रीमती कमलेश कान्ती की गला दबाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-102/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302, 394,411, 376/511 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश, द0प्र0क्षे0, कानपुर देहात के आदेश दिनांक 31.03.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक-01-02-2019 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। दिनांक **दिनांक-04.08.2022 तक अपरिहार 18 वर्ष, 11 माह, 09 दिन तथा सपरिहार 24 वर्ष, 04 माह, 16 दिन की सजा भोगी गयी है।**

जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक-13-11-2021 में प्राबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष बंदी छोटे उर्फ प्रेमचन्द्र पुत्र श्री ओम प्रकाश त्रिवेदी उर्फ चिरौटा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड का अभिमत है कि बलात्कार का प्रयास करने में सफल न होने पर दिनांक-10-08-2003 को बन्दी ने श्रीमती कमलेश कान्ती की गला दबाकर हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा समिति व निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्राबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी छोटे उर्फ प्रेमचन्द्र पुत्र श्री ओम प्रकाश त्रिवेदी उर्फ चिरौटा को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in